## SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF (For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal number FP/UP/ROAD/121197/2021 has been received by this office from the **Executive Engineer**, Construction Division (Building) PWD Meerut for diversion (under FCA 1980) of 24.70 Hectares of Forest land for non-forestry purpose in district Ghaziabad. The subject envisages the use of forest land for Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg on Right Hand Side shoulder of Upper Ganga Canal from KM Ch. 51.910 to KM Ch.163.40 in district-Muzaffernagar, Meerut, Ghaziabad in U.P. The site inspection of the land involved in the proposal in District Ghaziabad, Mr. J. K. Sharma, Assistant Engineer, PWD Ghaziabad, Mr. Shatendra Kumar, Junior Engineer, from user agency and Mr. Ashutosh Pandey, Sub Divisional Officer, Social forestry division Ghaziabad, Mr. Rajesh Kumar, Range Officer etc. on dated 18-04-2021.

During inspection of the site it is found that land required by the user agency is a **Protected** Forest measuring nearly 24.70 Hectares.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: - NIL

Whether any protected archeological/ heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC for competent authority, if required: - NIL

a. The user agency has not violated the provisions of Forest Conversation Act-1980 and no work has been started. :- YES

b. It has been found that the user agency has violated the Forest (Conversation), Act 1980 provisions. A detailed report as per para 1.9 of chapter-I, Para-C of Handbook of Forest (Conversation) Act 1980 is attached :- NO

c. Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal :-

The proposal Construction of Choudhary Charan Singh Kavad Marg on Right Hand Side shoulder of Upper Ganga Canal from KM Ch.51.910 to KM Ch.163.40 in district-Muzaffer Nagar, Meerut, Ghaziabad in U.P. is a road construction project. The user agency has justified the importance of the project by submitting that, the proposed road will cater the connectivity needs of the public. On the left side of the canal, the road is already constructed which is being used as an alternative for NH-58. This road is also used by on foot travellers as well as vehicular traffic during Kavad yatra in the month of *Sravan*. Due to heavy footfall and traffic, this left side road of the canal gets totally congested which in turn block traffic on NH-58 too. Thus, to construct the road at right hand side of the canal can help to ease the traffic congestions on left hand side road of the canal as well as on NH 58 and local people of the area will get better connectivity.

Considering above submissions in justification of project, the project is recommended for the acceptance in public welfare with the following condition:-

1. Since the project requires nearly 24.70 hectares of protected forest land, a forest nursery with its constructed components, in an area of approx. 2 hectares is established which cater the need of approximately 4.5 lakhs of plants to different parts of Ghaziabad along with the area with permament wall-fencing and gateway which comprises range office premises, and plantations which are still under maintenance are being affected to their destruction. This will result into re-establishment of all public utilities of forest department such as range premises and a new nursery on the lines of present one. An estimate comprising the above losses have already been sent to the user agency vide letter no.5272/14-1dated 05 May 2021 (enclosed herewith). The user agency shall submit the same to Ghaziabad forest division for the re-establishment of above public utilities in Modinagar range.



Place: - Ghaziabad Dated: - 18.04.2021

Divisional Forest Officer Social Forestry Division



Phone-0120-2783617 Fax-0120-2783618 E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक: 5777 / 14-1, दिनांक, गाजियाबाद 05 मई, 2021

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता. लोक निर्माण विभाग डिविजन. मेरठ।

विषयः चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग के निमार्ण के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/121197/2021 महोदय.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में आवगत कराना है कि आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में निम्न कमियां है उक्त को दूर कर संशोधित प्रपत्र भेजने का कष्ट करें।

- 1. पृष्ठ संख्या—18 के काष्ट वेनिफिट में आप द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में कोई भी पब्लिक फेस्लिटि व इन्फ्रा ट्रेक्चर वाधित नहीं है। जबकि उक्त प्रस्ताव में संरक्षित भूमि के अतिरिक्त वन विभाग मुरादनगर पौधशाला का परिसर जिसमें ग्रीन हट, पौली हाउस, पौधशाला गेट, ऑफिस दीवार एवं पौधशाला सिचाई नाली, बोरिग बैड़, हैण्ड पम्प, पौध आदि का विस्थापन होना है। उक्त नर्सरी की मूलभूत संरचना प्रभावित होने से मोदीनगर तहसील के अन्तर्गत विभिन्न विभागों, जन सामान्य एवं स्थानीय निकायों को वृक्षारोपण हेतु पौध उपलब्ध कराने की व्यवस्था अवरूद्ध होगी।
- 2. पृष्ठ संख्या—19 में जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 24.70 हैं0 गैर वन भूमि देने की सहमति दी गयी है जबकि प्रकरण में दुगनी अवनत वन भूमि की मांग की जा रही है। अतः उक्त प्रपन्न में भी स्पष्ठ उल्लेख करें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गैर वन भूमि दी जानी है अथवा दुगनी अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया जाना हैं।
- 3. आप द्वारा जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का आक्लन 97 लाख दर्शाया गया है जो गलत है। इस वन प्रभाग के अन्तर्गत पढ़ने वालें चैंनेज 151.050 से 163.400 में निम्नानुसार परिसम्पतियों का क्षति होगी, अनुमानित विवरण निम्नवत् हैं।

•	मील संख्या 94 से 98 मील दांयी पटरी 2011 वृक्ष का मूल्य राशि	धनराशि- 1302200.00
•	मील संख्या 99 से 100.5 मील दांयी पटरी <u>2153</u> वृक्ष का मूल्य राशि योग- 4164	धनराशि- 2592848.00
वि	4164 पेड़ों पर गदावा बनाकर नम्बर डालना मूल्रू प्रति वृक्ष 05.00 भिन्न वर्षो के वृक्षारोपण।	धनराशि - 20820.00
•	मील 94, 95 दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2014-3750 पौध चारों वर्षों के प्राक्लनों के अ	
•	मील 98.99 व 100 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2015–5000 पौध चारों वर्षो के प्रा	कुल धनराशि– 1302200.00 क्लनों के अनुसार
•	मील 94 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2016–2500 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के 3	कुल धनराशि– 1302200.00 अनुसार
•	मील 96 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2016-2500 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के 3	
•	मील 95 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2019–5500 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के उ	The second
•	मील 97 पार्ट दांयी पटरी वृक्षारोपण वर्ष 2019-5500 पौध चारों वर्षो के प्राक्लनों के अ	कुल धनराशि– 1171500.00 नुसार
	योग — <u>24750 पौधे</u> 250 आर0सी0सी0 ट्री गार्ड रोपण 2015 दर रू0 2265 प्रति ट्री गार्ड, प्राक्लन के अनुस	कुल धनराशि- 1171500.00
	पौधशाला में सेही जाली 200 मीटर दर रू0 450 प्रति मी0 प्राक्लन के अनुसार	कुल धनराशि— 5662500.00 कुल धनराशि— 90000.00
ile position	r: F//vash/fioshi sir// letter 176	

रेंज कार्यालय में 48 ,टर दीवार, 68 स्क्वायर मीटर कार्यालय में इण्टर लाकिंग टायल्स रास्ता एवं एंगल आयरन कुल धनराशि- 350000.00 तथा गेट की लागत, प्राक्लन के अनुसार कुल धनराशि- 303300.00 ग्रीन हाउस व उसकी दीवार, प्राक्लन अनुसार 7. 8. पाली हाउस, प्राक्लन के अनुसार कुल धनराशि- 365000.00 9. हैण्डपम्प बाजार मूल्य कुल धनराशि- 35000.00 10. पौधशाला में सिंचाई नाली 450 मीटर दर प्रति रू0 975 प्रति मी0 बाजार मूल्य कुल धनराशि- 438750.00 11. पौधशाला में 02 बोरिंग मय समर सेबिल बाजार मूल्य कुल धनराशि- 110000.00 12. पौधशाला में आ रही 100000 थैली पौध को दूसरे स्थान पर प्लाट बनाकर रखना अनुमानित कुल धनराशि- 300000.00 13. पौधशाला में बनी बर्मी कम्पोस्ट खाद की बेड, प्राक्लन के अनुसार कुल धनराशि- 35000.00 14. नई हाईटैक/मोर्डन पौधशाला निर्माण हेत्र वांछित धनराशि कुल धनराशि-10412000.00 योग- 29520973.00 15. कन्टीजैन्सी 2% क्रम संख्या–01 से 13 तक की कुल धनराशि- 590419.00 योग- 30111392.00

16. इस वन प्रभाग के अन्तर्गत मील 94 से मील संख्या—100.5 तक 4164 वृक्ष एवं वर्ष 2014, 2015, 2016, 2019 के वृक्षारोपण के 24750 पौधें प्रभावित / वाधक होंगे तद्नुसार भाग—1 में संशोधित करने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

वीय, अडीवडी करी ही शा जार्ग्स प्रभागीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक <u>5-२७२</u> / दिनांकित प्रतिलिपिः वन संरक्षक मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलितपः अधिशासी अभियन्ता, खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।